भैरू बनाम धन्नालाल, सरकार

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या : 2023/91

29.09.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन किये जाने बाबत मय प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र दिनांक 25.05.2023 को पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.03.2023 नियत थी। उक्त अपील की सुनवाई हेतु नियत तारिख पर प्रार्थी/अपीलपांट अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और न ही प्रार्थी/अपीलांट स्वयं उपस्थित हो सका और माननीय न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में उक्त उनवानी अपील को खारिज फरमा दिया गया। उक्त सुनवायी की तारीख को अधिवक्ता अपीलांट के माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने का मुख्य कारण यह था कि उक्त सुनवाई की तारीख के दो दिन पूर्व उनके छोटे भाई मुकेश कुमार का निधन हो गया था और उन्हें अचानक अपने गांव जाना पडा तथा गमगीन माहौल में अपील की सुनवाई की तारीख न तो प्रार्थी/अपीलांट को बता पाये और न ही अपने साथी अधिवक्ता को बता पाये। उक्त अपील की सुनवाई की नियत तारीख को प्रार्थी/अपीलांट के अधिवक्ता के माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने का कारण न्यायोचित व समुचित है जो क्षम्य योग्य है। उक्त आदेश दिनांक 27.03.2023 को पारित किया गया जिसकी नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत किया और नकल दिनांक 12.04.2023 को प्राप्त हुई एवं दिनांक 20.04.2023 से मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल होने की वजह से न्यायालय में कामकाज प्रभावित रहा इसलिये दिनांक 27.03.2023 से दिनांक 25.05.2023 तक का समय मुजरा देने के पश्चात प्रार्थना पत्र अंदर मियाद प्रस्तुत है। न्याय हित में अपील को रेस्टोर किया जाना आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र रेस्टोर कर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र वास्ते अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु पेश कर कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्टोर किये जाने बाबत की मद नंबर 01 व 02 स्वीकार है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार क्यों उपस्थित नहीं हुए इसका उल्लेख नहीं किया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वकालतनामे पर 4 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर है। यदि एक अधिवक्ता अनुपस्थित था तो अन्य अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं बताया गया है। मद नंबर 03 प्रार्थना पत्र जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 04 स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 05 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के कथनानुसार उसे दिनांक 12.04.2023 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त

हो गयी थी। इसके बाद भी मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल समाप्ति दिनांक 15.05.2023 के 10 दिन बाद दिनांक 25.05.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा निर्धारित अवधि में बाजदायरी का प्रार्थना पत्र जानबुझकर प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 15.05.2023 के बाद भी 10 दिन विलंब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र अवधि बाधित प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने इसी स्तर पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारित करने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण की मूल पत्रावली 2023/23 बउनवान भैरू बनाम धन्नालाल, सरकार को दिनांक 27.03.2023 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। जिसको रेस्टोर किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया था। अधिवक्ता अपीलांट के कथनानुसार उनके सगे भाई का देहांत होने के कारण वो दिनांक 27.03.2023 को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सके। अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि वकालतनामा में अंकित अन्य अधिवक्ता उपस्थित हो सकते थे। परंतु हमारे मत में जो अधिवक्ता प्रकरण में सामान्यतः उपस्थिति दे रहे थे, यदि उनके सगे भाई की मृत्यु के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तो उस पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हमारे मत में अधिवक्ता अपीलांट का कथन सद्भाविक है। परन्तु दिनांक 15.05.2023 से दिनांक 24.05.2023 तक का विलम्ब लापरवाही को भी दर्शाता है।

अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन को 300/– रूपये के हर्जे (कॉस्ट) पर स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। साथ ही वकील अपीलांट उक्त राशि को अधिवक्ता कल्याण कोष, कोटा में जमा कराकर आगामी पेशी पर न्यायालय हाजा में रसीद पेश करे।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा